न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी— श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
58/2022	12.10.2022	28-11-25

ओमप्रकाश पुत्र रणजीत, मीना निवासी बाढ रामसर, हीरापुर तह0 तलावडा
——प्रार्थी

बनाम

1. गोपाल पुत्र रणजीत, मीना निवासी बाढ रामसर, हीरापुर तह0 तलावडा
2. रामजीलाल पुत्र रणजीत, मीना निवासी बाढ रामसर, हीरापुर तह0 तलावडा
3. प्रेमचंद पुत्र रणजीत, मीना निवासी बाढ रामसर, हीरापुर तह0 तलावडा
4. गुलाबचंद पुत्र रतनलाल, मीना निवासी बाढ रामसर, हीरापुर तह0 तलावडा
5. लक्ष्मीचंद पुत्र रतनलाल, मीना निवासी बाढ रामसर, हीरापुर तह0 तलावडा
6. प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा औ. क्षेत्र गंगापुर सिटी
7. प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा शाखा तलावडा तह0 गंगापुर सिटी
8. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी ——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :— श्री बदरीनारायण गुर्जर, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की सहखातेदारी की भूमि खाता संख्या 62, 61 ग्राम बाढ रामसर, हीरापुर मे स्थित है। खाता संख्या 62 में उक्त खसरा नम्बरान मे प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का हिस्सा 1/3 —1/3 हिस्सा है। प्रार्थी का गलत नाम हरिओम पुत्र रणजीत राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रार्थी का सही नाम ओमप्रकाश पुत्र रणजीत है। प्रार्थी के दस्तावेजात मे प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश पुत्र रणजीत है। दिनांक 4.7.2021 प्रार्थी ने पटवारी हल्का से राजस्व रिकॉर्ड मे प्रार्थी का नाम सही करवाने हेतु कहा तो पटवारी हल्का ने न्यायालय से आदेश लाने को कहा। इस कारण प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खाता संख्या 61, 62 ग्राम बाढ रामसर, हीरापुर मे अंकित नाम हरिओम के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र र[illegible] दर्ज [illegible] करावें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने [illegible]पी नकल जमाबंदी संवत 2070—73 खाता संख्या 61, 62 ग्राम बाढ [illegible] मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत किये है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब [illegible] गया एवं तहसीलदार तलावडा से रिपोर्ट चाही गई। अप्रार्थी संख्या 1 ता [illegible]जूद सूचना हाजिर अदालत नही हुए है। अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.12.29 16:56:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

अप्रार्थी तहसीलदार तलावडा की ओर से उनके पत्र क्रमांक राजस्व/25/1422 दिनांक 03.09.2025 के साथ रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसके साथ पटवारी हल्का हीरापुर की मूल रिपोर्ट भी संलग्न की गई है।

बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के नाम वर्तमान राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती करवाए जाने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। लैण्ड होल्डर तहसीलदार तलावडा की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी ओमप्रकाश पुत्र रणजीत का ग्राम बाढ रामसर की भूमि खाता संख्या 61 एवं 62 मे हरिओम पुत्र रणजीत दर्ज है। मौका पर्चा एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तोवज जैसे आधार कार्ड, पहचान प्रमाण पत्र, ग्राम रामसर की वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 52 मे प्रार्थी का सही नाम ओमप्रकाश पुत्र रणजीत दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत भूमि जमाबंदी संवत 2070–73 खाता संख्या 61, 62 प्रार्थी की सहखातेदारी की भूमि है तथा प्रार्थी द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर हरिओम पुत्र रणजीत के नाम से बैक ऑफ बडौदा शाखा तलावडा से बैंक ऋण प्राप्त किया हुआ है। इस प्रकार प्रार्थी क्लीन हैण्ड से न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है और प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र यह भी अंकित नही किया है कि किन वजह से प्रार्थी का अशुद्ध नाम जमाबंदी मे दर्ज हुआ है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/11/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.12.29 16:56:22 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीणा)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स०मा०) (राज०)
सत्यमेव जयते

अप्रार्थी तहसीलदार तलावडा की ओर से उनके पत्र क्रमांक राजस्व/25/1422 दिनांक 03.09.2025 के साथ रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसके साथ पटवारी हल्का हीरापुर की मूल रिपोर्ट भी संलग्न की गई है।

बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के नाम वर्तमान राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती करवाए जाने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। लैण्ड होल्डर तहसीलदार तलावडा की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी ओमप्रकाश पुत्र रणजीत का ग्राम बाढ रामसर की भूमि खाता संख्या 61 एवं 62 मे हरिओम पुत्र रणजीत दर्ज है। मौका पर्चा एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तोवज जैसे आधार कार्ड, पहचान प्रमाण पत्र, ग्राम रामसर की वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 52 मे प्रार्थी का सही नाम ओमप्रकाश पुत्र रणजीत दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत भूमि जमाबंदी संवत 2070—73 खाता संख्या 61, 62 प्रार्थी की सहखातेदारी की भूमि है तथा प्रार्थी द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर हरिओम पुत्र रणजीत के नाम से बैक ऑफ बडौदा शाखा तलावडा से बैंक ऋण प्राप्त किया हुआ है। इस प्रकार प्रार्थी क्लीन हैण्ड से न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है और प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र यह भी अंकित नही किया है कि किन वजह से प्रार्थी का अशुद्ध नाम जमाबंदी मे दर्ज हुआ है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/11/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.12.29 16:06:27 IST
Reason: SelfAttested

(... मीना)
उपखण्ड अधिकारी
... पुर सिटी (राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स०मा०) (राज०) सत्यमेव जयते